Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा को कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 90.9718 हे. एवं जशपुर वनमंडल अंतर्गत 0.7471 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में मार्ग निर्माण हेतु कुल रकबा 169.0231 हे. आरक्षित, संरक्षित, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	वनमंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	योग
1	धरमजयगढ़	26.6399	27.8631	10.4794	25.9894	90.9718
2	कोरबा	–	34.8211	34.2841	8.1990	77.3042
3	जशपुर	–	–	0.7471	–	0.7471
योग		26.6399	62.6842	45.5106	34.1884	169.0231

भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त तालिका में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 169.0231 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :–

"धरमजयगढ़ वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क काष्ठागार डिपो के बीच से होते हुए गुजर रहा है जिसके कारण डिपो सेक्टर बनाने की आवश्यकता होगी, वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन का कार्य प्रगति पर है। अतः वनमंडलाधिकरी, धरमजयगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन के अनुसार काष्ठ डिपो धरमजयगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 1,41,40,355/– आवेदक संस्थान से वसूल किया जाना प्रस्तावित है एवं प्रभावित वन भूमि से सेड्यूल–1 के वन्यप्राणियों हाथी, भालू एवं अन्य का उपस्थिति एवं आवागमन होता है। अतः वन्यप्राणी योजना प्रस्तावित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।"

Signature

Date : 22-11-2023

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change
Mantralaya…

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5—53 / 2023 / 10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २३ / 11 / 2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः – आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल एवं जशपुर जिले के जशपुर वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु National Highways Authority of India द्वारा Development of Urga Pathalgaon section of NH-130 (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) in the State of CG under Bharatmala Pariyojana, Area 169.0231 ha. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–899 / 2435, दिनांक 17.10.2023।

––000––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा द्वारा कोरबा वनमंडल अंतर्गत 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 90.9718 हे. एवं जशपुर वनमंडल अंतर्गत 0.7471 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 169.0231 हे. आरक्षित, संरक्षित, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। **वनमंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–** (तालिका नीचे)	1 – 6

क्र	वनमंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	नारंगी वन (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	योग
1	धरमजयगढ़	26.6399	27.8631	10.4794	25.9894	90.9718
2	कोरबा	–	34.8211	34.2841	8.1990	77.3042
3	जशपुर	–	–	0.7471	–	0.7471
	योग	26.6399	62.6842	45.5106	34.1884	169.0231

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष / पंजीयन क्रमांक) –** उक्त प्रकरण के लिये रजिस्ट्रेशन क्रमांक– **FP/CG/Road/122482/2021** आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 6,000/– एवं 58,000 का डी.डी. जमा कराया गया है जिसे वनमंडल अधिकारी धरमजयगढ़ के पी.डी. खाता में दिनांक 23.08.2022 के माध्यम से जमा कराया गया है।	7 – 10

क्रमशः 2

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप</th></tr>
<tr><td>3</td><td>

वन क्षेत्र का विवरण –

प्रस्तावित भारतमाला परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य में निम्नानुसार वन भूमि/नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है वनमंडलवार विवरण निम्नानुसार है:–

<table>
<tr><th>क्र</th><th>वनमंडल</th><th>आरक्षित वन (हे.)</th><th>संरक्षित वन (हे.)</th><th>नारंगी वन (हे.)</th><th>राजस्व वन भूमि (हे.)</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धरमजयगढ़</td><td>26.6399</td><td>27.8631</td><td>10.4794</td><td>25.9894</td><td>90.9718</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कोरबा</td><td>–</td><td>34.8211</td><td>34.2841</td><td>8.1990</td><td>77.3042</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जशपुर</td><td>–</td><td>–</td><td>0.7471</td><td>–</td><td>0.7471</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>**26.6399**</td><td>**62.6842**</td><td>**45.5106**</td><td>**34.1884**</td><td>**169.0231**</td></tr>
</table>

उपरोक्त वनमंडलवार मांग की गई भूमि के लिये आवेदक संस्थान द्वारा पृथक–पृथक डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराया गया है। वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ पृथक–पृथक सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।

</td><td>11 – 20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>

गैर वन क्षेत्र का विवरण –

प्रस्तावित भारतमाला परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का विवरण वन मंडलवार निम्नानुसार है:–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धरमजयगढ़</td><td>144.2311</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कोरबा</td><td>125.1259</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जशपुर</td><td>80.4840</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग –</td><td>**349.8410**</td></tr>
</table>

</td><td>21 – 23</td></tr>
<tr><td>5</td><td>

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –

प्रस्तावित वन क्षेत्र से संबंधित वन आवरण मानचित्र एफ.एम.आई.एस. द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसे संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

</td><td>24 – 28</td></tr>
<tr><td>6</td><td>

वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –

प्रस्तावित वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के वनक्षेत्र का इण्डेक्स मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

</td><td>29 – 66</td></tr>
<tr><td>7</td><td>

प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –

प्रपत्र–IV में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2261.30 करोड़ रू. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस हेतु संबंधित प्रपत्र–IV संलग्न है।

</td><td>67 – 80</td></tr>
<tr><td>8</td><td>

प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –

प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।

</td><td>81 – 97 B</td></tr>
<tr><td>9</td><td>

वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –

उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बलौदाबाजार वनमंडल के अधीन समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि में 171.4929 हे. प्रस्तावित की गई है, ग्रामवार एवं खसरावार विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण योजना के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशि जमा करने संबंधी वचन पत्र दिया गया है जो संलग्न है।

</td><td>98 – 100</td></tr>
<tr><td>10</td><td>

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –

यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

</td><td>101 – 106</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप</th></tr>
<tr><td>11</td><td>पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –
इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, आवेदक संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>107 – 110</td></tr>
<tr><td>12</td><td>वृक्ष विदोहन विवरण –
प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही 169.0231 हे. वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में वृक्षों का विदोहन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वनमंडलवार वृक्ष विदोहन का विवरण निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धरमजयगढ़</td><td>22,214</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कोरबा</td><td>11,276</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जशपुर</td><td>195</td></tr>
<tr><td></td><td>योग –</td><td>33,685</td></tr>
</table>
उपरोक्त वनमंडलों में प्रभावित हो रहे वृक्षों की वृक्ष विदोहन योजना वनमंडलवार पृथक–पृथक प्रस्ताव के साथ संलग्न है।</td><td>111 – 300</td></tr>
<tr><td>13</td><td>कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित प्रपत्र में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>301 – 324</td></tr>
<tr><td>14</td><td>चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वन क्षेत्र –
प्रकरण में मांग की गई गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि एवं राजस्व वनभूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि का रकबा (हे. में)</th><th>राजस्व वनभूमि का रकबा (हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कोरबा</td><td>144.2311</td><td>25.9894</td></tr>
<tr><td>2</td><td>धरमजयगढ़</td><td>125.1259</td><td>8.1990</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जशपुर</td><td>80.4840</td><td>–</td></tr>
<tr><td></td><td>योग –</td><td>349.8410</td><td>34.1884</td></tr>
</table></td><td>325 – 352</td></tr>
<tr><td>15</td><td>गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –
प्रस्तावित भारतमाला परियोजना अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए गैर वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>353 – 354</td></tr>
<tr><td>16</td><td>स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –
आवेदक संस्थान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के अधीन प्रस्तावित परियोजना रकबा 169.0231 हे.के एवज में समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि में 171.4929 हे. राजस्व भूमि 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है।</td><td>355 – 480</td></tr>
<tr><td>17</td><td>वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –
आवेदक संस्थान द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के अधीन प्रस्तावित परियोजना रकबा 169.0231 हे. के एवज में समतुल्य शासकीय राजस्व भूमि में 171.4929 हे. राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए उपलब्ध कराये जाने का विनिश्चय किया गया है। इस हेतु वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>481 – 482</td></tr>
<tr><td>18</td><td>अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –
प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>483 – 485</td></tr>
</table>

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	486 – 488
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदाशय का संबंधित वनमंडलाधिकारियों का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	489 – 491
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता बाबत मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	492 – 493
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	494 – 496
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित नही होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	497 – 499
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित नही होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	500 – 502
25	**व्यवस्थापन प्लान –** यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	503 – 505
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि/नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार संबंधित प्रपत्र भाग–I से भाग–IV में प्रस्ताव में दर्शित है। मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा एवं दिनांक निम्नानुसार है:–	506 – 528

क्र	वन वृत्त/वनमंडल का नाम	स्थल निरीक्षण/ अनुशंसा का दिनांक	प्रस्ताव पृ. क्रमांक
1	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त	22.09.2023	521
2	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त	17.09.2023	524
3	वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ (नोडल)	07.06.2023	516 से 520
4	वनमंडलाधिकारी, कोरबा	20.05.2023	512 से 515
5	वनमंडलाधिकारी, जशपुर	21.08.2023	522 एवं 523

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा द्वारा कोरबा वनमंडल अंतर्गत 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत 90.9718 हे. एवं जशपुर वनमंडल अंतर्गत 0.7471 हे. वन भूमि भारतमाला परियोजना अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 169.0231 हे. वन भूमि/नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि में 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह, स्थल एवं मूर्ति नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, कोरबा, जशपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त प्रस्तावित मार्ग से 3 कि.मी. की दूरी पर ओंगना ऐतिहासिक शैल चित्र एवं बाकारूमा परिक्षेत्र अंतर्गत हांथादाई ऐतिहासिक शैलचित्र उक्त प्रस्तावित मार्ग से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।	529 – 531

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है, के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	532 – 535
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा वर्ग कि.मी. में) –** प्रकरण में प्रभावित हो रहे वनमंडल से संबंधित जिलों के कुल वनभूमि का रकबा निम्नानुसार है:–	536 – 538
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** उक्त अधिनियम के अंतर्गत वनमंडलवार स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:–	539 – 541
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी के अंतर्गत व्यपवर्तित वनभूमि के रकबा का विवरण निम्नानुसार है:–	542 – 544
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार धरमजयगढ़ एवं बाकारूमा परिक्षेत्र आवेदित राष्ट्रीय राजमार्ग के वन भूमि के 2.5 कि.मी. की परिधि में लेमरू हाथी कोरीडोर स्थित है, अंडरपास/ओवरपास हेतु चिन्हित स्थलों पर वर्षभर हाथी, भालू की उपस्थिति और आवागमन रहता है। WII की गाईड लाईन के अनुरूप आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार किया गया है।	545 – 547
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है। पत्रक संलग्न है।	548 – 550
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 28.06.2022 जो वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित है,के नियम 6 (ख) (ii) के प्रावधानों के तहत अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात संबंधित कलेक्टर का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	551 – 554

Table under 29:

क्र	वृत्त/वनमंडल	जिले के वनभूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)
1	धरमजयगढ़	171341.90
2	कोरबा	213647.00
3	जशपुर	2131.00

Table under 30:

क्र	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	धरमजयगढ़	–	419.433
2	कोरबा	11	1099.452
3	जशपुर	11	176.990

Table under 31:

क्र	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)
1	धरमजयगढ़	–	–
2	कोरबा	–	–
3	जशपुर	1	25.215

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रकरण में वनमंडलवार प्रभावित हो रही राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है इस हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र वनमंडलवार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	555 – 560

क्र	जिले का का नाम	जिले के वन भूमि का रकब (हे. में)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक
1	रायगढ़	25.9894	06.03.2023
2	कोरबा	8.1990	19.06.2023
3	जशपुर	जशपुर वनमंडल अतर्गत राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	
योग –		**34.1884**	

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	561 – 563
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	564 – 566
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** Soil Productivity Report संलग्न है।	567 – 569
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है ।	570 – 572
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** आवेदित वनभूमि में प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कार्य यथा निर्माण कार्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	573 – 575
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** जानकारी बिन्दु क्रमांक–3 में दर्शाया गया है।	576 – 578
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत–** वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़, रायपुर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है, जो प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय प्रस्तुत किया जावेगा।	579 – 581
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	582 – 584
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव में संलग्न है।	585 – 749

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

क्रमशः 7

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

23.11.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–53/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 /11/2023

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर/सरगुजा वृत्त, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, कोरबा/धरमजयगढ़/जशपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4.परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग